

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2015—चैत्र 25, शक 1937

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2015

क्र. एफ 1-99-2009-1-उनसठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) होम्योपैथी/आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी).	03	-तदैव-	15600-39100 ग्रेड वेतन 6600	-

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 14, 15 एवं 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ होम्योपैथी/ आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी)	-तदैव-	03	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	सहायक अधीक्षक, होम्योपैथी.	म. प्र. शासन आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी.	01	100 प्रतिशत	-	-	-
16	सहायक संचालक, आयुर्वेद/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर. एम. ओ. (आयुर्वेद)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद).	-तदैव-	1432	97 प्रतिशत	3 प्रतिशत	-	-

3. अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 5 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) होम्योपैथी/ आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी).	-तदैव-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी के क्लीनिकल विषय में सी. सी. एच. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि. (ख) म. प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत.	
7	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/महिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आर. एम. ओ. (होम्यो.)/आयुष चिकित्सक (होम्यो.) /सहायक अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय.	-तदैव-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में सी. सी. एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि. (ख) म. प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत. (ग) उपरोक्त कंडिका 6(ग) अनुसार.	

4. अनुसूची-4 में, अनुक्रमांक 5 एवं 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय/वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) होम्योपैथी/आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी).	उप संचालक, होम्योपैथी.	5 वर्ष	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/महिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आर. एम. ओ. (होम्यो.)/आयुष चिकित्सक (होम्यो.)/सहायक अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय.	अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय/ वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) होम्योपैथी/आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी).	अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय हेतु 5 वर्ष का अनुभव. वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) होम्योपैथी/आयुष विशेषज्ञ चिकित्सक (होम्योपैथी) हेतु 5 वर्ष के अनुभव के साथ सी. सी. एच. द्वारा मान्यता प्राप्त क्लीनिकल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.	तदैव

No. F-1-99-2009-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Ayush Department (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule-I for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy)	03	-do-	15600-39100+ Grade Pay 6600.	-

2. In schedule-II, for serial numbers 14, 15 and 16 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy).	-do-	03	25%	75%	-	-
15	Assistant Superintendent, Homoeopathy.	MP Govt. Ayush Deptt. class II services.	01	100%	-	-	-
16	Assistant Director, Ayurveda/Ayurvedic Medical Officer/ R. M. O. (Ayurveda)/ Female Ayurveda Medical Officer/Ayush Doctor (Ayurveda)	-do-	1432	97%	3%	-	-

3. In schedule-III, for serial numbers 5 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/ Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy).	-do-	22	40	(a) Post graduate degree in clinical subject of homoeopathy recognized by CCH from a university established by law. (b) Registered in MP State Homoeopathy Council established by law.	-
7	Homoeopathic Medical Officer/ Female Homoeopathic Medical Officer/ R.M.O. (Homeo)/ Ayush Doctor (Homeo)/ Assistant Superintendent, Homoeopathy Hospital.	-do-	22	40	(a) Graduate degree recognized by CCH from a university established by law. (b) Registered in MP State Homoeopathy Council established by law. (c) As per clause 6(c)	-

4. in schedule-IV, for serial numbers 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Superintendent, Homoeopathy Hospital /Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy).	Deputy Director, Homoeopathy.	5 years	-do-
6	Homoeopathic Medical Officer/Female Homoeopathic Medical Officer/R.M.O. (Homeo)/Ayush Doctor (Homeo)/Assistant Superintendent, Homoeopathy Hospital.	Superintendent, Homoeopathy Hospital/Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/ Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy)	5 years experience for Superintendent, Homoeopathy Hospital. Post Graduate degree in a clinical subject recognized by C.C.H. with 5 years experience for Senior Doctor (Specialist) Homoeopathy/ Ayush Specialist Doctor (Homoeopathy)	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.